


राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 1101

दिनांक : 9-2-17

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1006-41 दिनांक 08.02.17 में आंशिक संशोधन करते हुए मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2017 को अपरान्ह 2.30 बजे जिला कलक्टर सभागार, अजमेर में अजमेर सम्भाग के अजमेर विकास प्राधिकरण/निकायों में विभाग के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षात्मक बैठक जिला कलक्टर, सभागार के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के सभागार में ली जायेगी।

  
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 9-2-17

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 1102-1136  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
04. जिला कलक्टर, अजमेर।
05. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
06. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
07. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको., जयपुर।
08. मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय।
09. अध्यक्ष/आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका, अजमेर सम्भाग की उक्त बैठक में उपस्थिति वांछनीय है।।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित विधायकगणों को अपने स्तर पर आमंत्रित कर विभाग को अवगत करावें।
12. सुरक्षित पत्रावली।

  
(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक